भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1330

(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2015 को दिया गया)

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के संबंध में अधिसूचना

1330. श्री देवेंदर गौड टी. :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 प्रत्येक कंपनी के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि धारा 135 को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को कारपोरेट क्षेत्र द्वारा किए जा रहे खर्च के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है; और

(घ) यदि हां, तो धारा 135 की अधिसूचना को रोक कर रखे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि पांच सौ करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या एक सौ करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर या किसी वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवल लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभों का न्युनतम दो प्रतिशत कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति पर व्यय किया जाना है। यदि उक्त राशि व्यय नहीं की जाती है तो, ऐसा न करने के कारण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट करने होंगे। कंपनियों द्वारा सीएसआर नीति में जिन कार्यकलापों को शामिल किया जा सकता है वे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट हैं।

(ग) और (घ) : धारा 135, अनुसूची VII और संगत कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के साथ दिनांक 27.02.2014 को अधिसूचित की गई है और 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हो गई है।

*****